अनुदान संख्या 72 - पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 72 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	868,57,00	905,78,00	901,17,81	-4,60,19
पूरक	Supplementary	37,21,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,54,06

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में समग्र बचतें (₹460.19 लाख) दिसंबर, 2022 में प्राप्त किए गए ₹3721.00 लाख का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत था।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुए :–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹460.19 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of ₹3721.00 lakhs obtained in December, 2022) and nearly 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4237.00	3622.54	3621.72	-0.82
पु.	R.	-614.46			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	25540.00			
पू.	S.	1.00	19318.32	19313.01	-5.31
पु.	R.	-6222.68			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8262.00	..	..	..
पु.	R.	-8262.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	44818.00			
पू.	S.	3720.00	63183.08	63183.08	..
पु.	R.	14645.08			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹9582.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹9562.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹9582.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹9562.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज – कार्य अनुसंधान और प्रचार" के अंतर्गत – ₹1300.00 लाख – आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की स्कीम के आमूलचूल परिवर्तित स्कीम के नव सृजित घटक में पुनर्विनियोग के कारण।

(A) Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Action Research and Publicity" - ₹1300.00 lakhs - due to re-appropriation to the newly created component of the revamped scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) as per approval of Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA).

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” – “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों – पंचायती राज – उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभ से संबंधित योजनायें” के अंतर्गत – ₹8262.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण।

(B) Major Head “2552” - “Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj -Schemes for benefit of NEA” - ₹8262.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – पंचायती ताज मंत्रालय” के अंतर्गत – ₹615.28 लाख की बचत (₹4237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में परामर्शदाताओं को रखने, कम संख्या में विदेशी दौरे करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Heads “3451” - “Secretariat - Ministry of Panchayati Raj” - saving of ₹615.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4237.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants, less foreign tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “2515” – “पंचायती राज – स्वामित्व” के अंतर्गत – ₹4671.05 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गावों की बडे पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम) के लिए भारतीय सर्वेक्षण से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने और राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2515” - “Panchayati Raj- Svamitva” - saving of ₹4671.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from Survey of India for Large Scale Mapping (LSM) of village and receipt of less proposals from the States.

2. उपर्युक्त बचतें भी मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :–

2. The above Savings were partly also offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - under the following heads:-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए)” – ₹13595.08 लाख का अधिक व्यय (₹3720.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹28488.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों को अधिक निधियों की आवश्यकता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(A) “Central Assistance/Share - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)” - excess of ₹13595.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28488.00 lakhs including supplementary grants of ₹3720.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by State Governments and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशीष घटक योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)” – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹13200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)” - excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by State Governments.